

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना / विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023

संख्या: पीआरपीबी-एक-कु0खि0(19)/2023

दिनांक: दिसम्बर 19, 2023

- 1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में (वेतनमान-पे बैंड-9300-34800 व ग्रेड पे-4200) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 91 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- 1.2 कुशल खिलाड़ी के कोटे के इन 91 पदों के सापेक्ष 56 पुरुष एवं 35 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन निम्नवत् किया जायेगा:-

क0सं0	खेल विधा का नाम	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या	महिला खिलाड़ियों की संख्या
1	वाटर स्पोर्ट्स	6	-
2	वालीबाल	2	2
3	फुटबाल	2	-
4	कबडडी	2	2
5	साइक्लिंग	1	-
6	बास्केटबाल	2	2
7	टेबिल टेनिस	1	1
8	बैडमिण्टन	1	1
9	कासकण्ट्री	1	1
10	तीरदाजी	2	2
11	जिम्नारिस्टिक	3	3
12	भारोत्तोलन	3	2
13	बुशू	2	1
14	जूडो	2	2
15	बाक्सिंग	2	2
16	एथलेटिक्स	6	6
17	तैराकी	2	2
18	शूटिंग	3	3
19	कुश्ती	4	2
20	कराटे टीम	2	1
21	हाकी	4	-
22	सेपक टकरा	3	-
योग		56	35
सम्पूर्ण योग		91	

1.3 कुशल खिलाड़ियों के लिये सम्बन्धित सेवा संवर्ग में चयन हेतु उस वर्ष की रिक्तियों में से 2 प्रतिशत रिक्त पदों को अलग करके भरा जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (अधिनियम संख्या-40, सन् 1993) की धारा-3 की उप धारा (3) के अनुसार यदि ऐसे भर्ती किये गये कुशल खिलाड़ी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति हों तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियमानुसार उक्त आरक्षित श्रेणी के लिये आरक्षित प्रतिशत के अधीन समायोजित किया गया माना जायेगा। यही व्यवस्था सामान्य श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए होगी।

1.4 शारीरिक रूप से विकलांग(अक्षम) व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

1.5 इस भर्ती के लिए किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2.1 ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी :-

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	20-12-2023
2	आवेदन करने की अंतिम तिथि	09-01-2024
3	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	11-01-2024

2.2 आवेदन शुल्क :-

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रु 400/- (रुपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क सम्बन्धित जनपद में भारतीय स्टेट बैंक(SBI) की मुख्य शाखा में चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक-007060800140000 पर जमा किया जायेगा। शुल्क जमा किए जाने हेतु चालान का प्रारूप परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

टिप्पणी:-

(क) आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा।

(ख) जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

2.3 विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भर सकता है।

2.4 एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

2.5 अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।

3. कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हतायें :-

3.1 राष्ट्रीयता :-

अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

3.2 शैक्षिक अर्हता :-

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी :-

1. आवेदन की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
 2. आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (ख) यदि किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, किन्तु वह सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती/नियुक्ति के दिनांक से 05 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जायेगी।

परन्तु यह कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवामुक्त (Discharge) कर दिया जायेगा।

3.3 खेल सम्बन्धी अर्हतायें :-

1. कोई खिलाड़ी, जो अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय ओलम्पिक संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं, जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर-1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 02 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें धारित करता है, भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 02 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि के आधार पर की जायेगी।
2. **न्यूनतम अर्हता**— श्रेणी-घ के अधीन सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा में कोई भी पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी-घ के अधीन किसी अन्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी-ग के अधीन किसी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में पदक प्राप्त किया हो अथवा टीम स्पर्धा में

प्रतिभाग किया हो अथवा श्रेणी-ख के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो ।

श्रेणी	खेल स्पर्धा / चैंपियनशिप
श्रेणी-क	1-ओलम्पिक गेम्स 2-विश्व चैंपियनशिप 3-विश्व कप
श्रेणी-ख	1-एशियाई खेल 2-कामनवेल्थ खेल (सीनियर) 3-कामनवेल्थ चैंपियनशिप (सीनियर) 4-एशियाई चैंपियनशिप (सीनियर)
श्रेणी-ग	1-यूथ ओलम्पिक खेल 2-एशियाई चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर / अन्डर-21) 3-कामनवेल्थ युवा खेल 4-दक्षिण एशियाई खेल 5-विश्व विश्वविद्यालय खेल / चैंपियनशिप 6-ओलम्पिक संघ से सम्बद्धता प्राप्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता
श्रेणी-घ	1-नेशनल खेल 2-नेशनल चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर) 3-फेडरेशन कप नेशनल (जूनियर / सीनियर) 4-अखिल भारतीय अन्तर राज्यीय चैंपियनशिप (सीनियर) 5-अखिल भारतीय अन्तर विश्व विद्यालय टूर्नामेंट 6-विश्व स्कूल खेल (अण्डर-19) 7-राष्ट्रीय विद्यालय खेल (अण्डर-19) 8-अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता

3.4 आयु :-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 27 वर्ष से अधिक आयु का न हो (पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, महोदय के आदेशानुसार न्यूनतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी) अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02-07-1996 से पूर्व तथा दिनांक 01-07-2004 के बाद न हुआ हो।

3.5 चरित्र:-

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी/खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर स्वयं का समाधान कर लेंगे।

परन्तु यह कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र अथवा नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी अपात्र होगा।

3.6 वैवाहिक प्रास्थिति:-

ऐसा कोई पुरुष/महिला खिलाड़ी:-

क. जिसने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया है या संविदा किया है, जिसके पूर्व से ही एक पति/पत्नी हो; या

ख. जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा/होगी;

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है, ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

3.7 शारीरिक स्वस्थता:-

कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रहा है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ एवं उपयुक्त रहता है। अतः कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी असाध्य रोग की जाँच मात्र के लिये की जायेगी। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक विषमता जिसका इसके खेल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, के आधार पर कुशल खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत किसी चयनित अभ्यर्थी को अनुपयुक्त/अनर्ह घोषित नहीं किया जायेगा।

4. भर्ती की प्रक्रिया :-

यह चयन 'उत्तर प्रदेश पुलिस(कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021' के अधीन किया जायेगा।

4.1 आवेदन पत्रों की संवीक्षा:-

बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं उनके संलग्नको अर्थात् प्रमाण पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जायेगी। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिलेखों की कोई प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्नक नहीं हैं तो ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे।

4.2 अभिलेखों की संवीक्षा:-

उन अभ्यर्थियों/खिलाड़ियों को, जिनके आवेदन पत्र संवीक्षा के उपरान्त शुद्ध पाये गये हों, को मूल शैक्षणिक/खेल प्रमाण-पत्रों से अभिलेखों की संवीक्षा हेतु बुलावा पत्र जारी किये जायेंगे और यह अपेक्षा की जायेगी कि वे चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक/समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपनी आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत करें, जिससे कि आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों/संलग्न अभिलेखों का सत्यापन किया जा सकें।

4.3 शारीरिक मानक:-

विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी/खिलाड़ी, किसी भी शारीरिक परीक्षण (ऊँचाई/सीने की माप/वजन) से मुक्त होगा।

4.4 खेल कौशल परीक्षण

(क) अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात् इसमें सफल पाये गये अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जायेगी। अभ्यर्थी के खेल सम्बन्धी कौशल का गहनता से परीक्षण किया जायेगा। खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे। खेल कौशल परीक्षण समिति निम्न मानक के अनुसार अंकों को प्रदान करेगी:-

खेल कौशल परीक्षण--(पूर्णांक-80 अंक)

उपयुक्त	50 अंक अथवा अधिक
अनुपयुक्त	50 अंक से कम

(ख) खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का प्रकरण अगले चरण के लिए भेजा जाएगा।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जाने के उपरान्त दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

4.5 खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन

यह चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जायेगा। यह चरण 20 अंकों का होगा।

4.6 अंको का विभाजन-

क. खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिये जाने वाले, अंकों का मानक पूर्णांक-100 का विवरण निम्नवत होगा:-

(1) खेल कौशल परीक्षण	80 अंक
(2) खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन	20 अंक
पूर्णांक	100 अंक

4.7 प्रमाण पत्रों का सत्यापन:-

नियुक्ति के लिये विभागाध्यक्ष को संस्तुति भेजने से पूर्व बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों/खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित खेल फेडरेशन/एसोशिएसन से कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण-पत्र

त्रुटिपूर्ण एवं कूटरचित/फर्जी पाये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।

4.8 चयन सूची

क. अन्तिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति एवं चयन समिति द्वारा दिए गये अंकों का योग किया जायेगा ।

ख. बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और यह सूची संस्तुति के साथ चरित्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रेषित की जायेगी । बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी । विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदन के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगे ।

टिप्पणी:-

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अभ्यर्थी निम्नानुसार उल्लिखित क्रम के अनुसार अर्हता, यदि कोई हो, धारित करता हो, को वरीयता प्रदान की जाएगी । एक से अधिक अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अर्हता की प्रसुविधा प्राप्त करेगा ।

क. डीओईएसीसी (डोएक)/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

ख. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

ग. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी " प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

2) उपरिलिखित के बावजूद भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी ।

5. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :-

5.1 ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड/अटैच किये जायेंगे: -

- (1) आयु एवं शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख।
- (2) खेल अर्हता सम्बन्धी अभिलेख।
- (3) मूल निवास प्रमाण पत्र।
- (4) जाति प्रमाण पत्र(अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु)
- (5) ई0डब्लू0एस0 का प्रमाण पत्र
- (6) फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।(चश्मा/टोपी/मास्क आदि हटाकर फोटो खिंचाया जाए।)
- (7) आधार कार्ड की छाया प्रति।

5.2 उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निम्नांकित अर्हता में कोई अर्हता धारित करता हो तो उससे सम्बन्धित अभिलेख भी स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड/अटैच किये जायेंगे:-

- क. डीओईएसीसी (डोएक)/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- ख. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- ग. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी " प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:-

(1) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में की गयी सभी प्रविष्टियां और अपलोड किये गये फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सही हैं और बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। यदि इनमें कोई कमी जैसे फोटोग्राफ/हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है अथवा बोर्ड की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है अथवा आवेदन में की गयी प्रविष्टियां परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये पहचान पत्र से मेल नहीं खाती हैं तब उसे परीक्षा में प्रवेश और सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) सभी अभ्यर्थियों को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे अपने आधार कार्ड सम्बन्धी विवरण का सत्यापन व प्रयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को अधिकृत करते हैं।

6. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर जाकर All Notification/Advertisement को क्लिक करना होगा तत्पश्चात् आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।

7.— हेल्प लाइन

आवेदन पत्र भरे जाने में आ रही किसी समस्या के निराकरण हेतु हेल्प लाइन नम्बर 9154109946 जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक क्रियाशील रहेगा।

फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

फार्म में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो और हस्ताक्षर अलग-अलग स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) व हस्ताक्षर (न्यूनतम 5 के0बी0 तथा अधिकतम 20 के0बी0) (अभ्यर्थी 3.5 सेमी चौड़ा व 1.5 सेमी लम्बे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर) में ही JPEG/JPG फार्मेट में स्कैन करेंगे। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मि0मी0 (1.4 इंच) x 45 मि0मी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:—

- 1) चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
- 2) नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
- 3) सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- 4) टुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- 5) तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, आँखें खुली)।
- 6) चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
- 7) कैमरे पर सीधी नजर हो।
- 8) फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

टिप्पणी:—

यदि उपरोक्तानुसार फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.— आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:—

- 8.1 अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- 8.2 अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8.3 जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.- अन्य:-

- 9.1 विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।
- 9.2 किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने या ऐसे पुरुष से विवाह करने जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (**Debar**) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।
- 9.3 यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- 9.4 इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक् से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।
- 9.5 यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, प्रवृत्त अधिनियमों के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, प्रवृत्त अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

10. बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

11. न्यायिक क्षेत्राधिकार

इस विज्ञापन तथा उसके प्रत्युत्तर में आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद हेतु कानूनी कार्यवाही केवल लखनऊ स्थित न्यायालय में ही शुरू की जा सकेगी।

B. Mad
19.11.2023
अपर सचिव

उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक शाखा
2. जिस व्यक्ति या संस्था का नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
3. पता	19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग लखनऊ - 226001
4. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	
5. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2022 का आवेदन शुल्क
6. चालान की सकल राशि	रु0 400/-
7. चालान की निबल राशि	
8. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर	0070- अन्य प्रशासनिक सेवार्ये 60- अन्य सेवार्ये 800- अन्य प्राप्तियाँ 140000- उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं आदि से प्राप्तियाँ

9. लेखा-शीर्षक का 15 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	तृ-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 0 7 0	6 0	8 0 0	1 4 0 0	0 0	400/-

धनराशि (शब्दों में) - रूपया चार सौ मात्र

योग

400/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या:.....अंको में रु0

शब्दों में रु0

दिनांक-

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार /

बैंक की मुहर सहित

रोकड़ (विवरण सहित)

नोट / सिक्के	संख्या	धनराशि रूपयों में
2000 X		
500 X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
2 X		
1 X		
चेक पूर्ण (विवरण के साथ)		
योग		

टिप्पणी:-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेख-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णकित कर धनराशि जमा की जायेगी।